4. बोलीदाता कम्पनी के नेटवर्क में सेल्यूलर सचल टेलीफोन सेवा की कम से कम एक लाख लाइनों का उपभोक्ता आधार होना चाहिए तथा उसे 1.1.95 को सेल्यूलर टेलीफोन नेटवर्क के प्रचालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

5. बोलीदाता कम्पनी के अनुभव में, सेल्यूलर सचल नेटवर्क का प्रचालन करने वाली उस भारतीय या प्रवर्तक कम्पनी का अनुभव भी शामिल किया जाएगा जिसकी बोलीदाता कम्पनी में इक्विटी भागीदारी 10 प्रतिशत या इससे अधिक है।

6. प्रारम्भ में लाइसेंस की अवधि 10 वर्ष की होगी जिसे बाद में एक बार में 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

7. लाइसेंस प्राप्तकर्त्ता, लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने या लाइसेंस के प्रभाव में आने की तारीख से 12 माह के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, सेवा प्रदान करेगा।

8. सेवा, समूह विशेष सचल या विश्वजनीन सचल संचार (जी एस एम) के मानकों के अनुरूप होगी।

9. ये सेवाएं दूरसंचार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अधिकतम शुल्क-दर के भीतर प्रदान की जाएगी।

10. लाइसेंस प्राप्तकर्त्ता, दूरसंचार विभाग की देय "एक्सेस एवं जंक्शन-प्रभारों" के अलावा, दूरसंचार प्राधिकरण को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा।

11. लाइसेंस प्राप्तकर्त्ता बेतार लाइसेंस शुल्क, डब्ल्यू पी सी रॉयल्टी, जी एम एस समझौता ज्ञापन संबंधी प्रभारों आदि का भी भुगतान करेगा।

12. लाइसेंस, गैर-विशिष्ट आधार पर जारी किए जाएंगे।

दिल्ली में बच्चों के यौन शोषण की घटनाएं

954. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली में प्रतिवर्ष बच्चों के यौन शोषण की कितनी घटनाएं हुई;

(ख) सरकार ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या वर्तमान कानून में बच्चों के यौन शोषण के संबंध में कोई अलग प्रावधान मौजूद है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार संबंधित कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राजय मंत्री (प्रो० एम० कामसन): (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1992, 1993 और 1994 के दौरान दिल्ली में दर्ज की गई बच्चों की यौन-शोषण की घटनाओं की संख्या इस प्रकार है:—

वर्ष	मामलों की संख्या
1992	185
1993	221
1994	226

(ख) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:—

(i) माता-पिता को यह सिखाने के लिए कि वे बालिकाओं की बेहतर देखभाल करें और बोल-शोषण से बचें, एक जागरूकता कार्यक्रम शुरु किया गया है।

(ii) महिला अपराध प्रकोष्ठ द्वारा स्कूलों, कालेजों और आवासीय कालोनियों में महिलाओं एवं लड़कियों को निशस्त्र मुकाबले में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि उनकी आत्म-रक्षा क्षमताओं में सुधार लाया जा सके।

(iii) स्कूल जाने वाले बच्चों के संबंध में कुछ सुरक्षा-उपाय करने के लिए अभिभावकों से भी अनुरोध किया गया है।

(iv) रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशनों के माध्यम से स्थानीय पुलिस अधिकारी, यह बताने के लिए जनता के साथ बैठकें कर रहे हैं कि वे अपने बच्चों को अजनबियों अथवा पड़ोसियों से उपहार और मिठाई आदि लेने के लालच में न पड़ने दें। जनता को बालिकाओं की विशेष देखभाल की सलाह देने के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन भी दिए गए हैं

(v) ऐसे अपराधों से संबंधित सभी रिपोर्टें तुरन्त दर्ज की जाती है और अपराधियों को दंडित

करने के लिए इनकी पूरी-पूरी जांच की जाती है। सभी जांच अधिकारियों को यह सलाह विशेष रूप से दी गई है कि कानून के अनुसार अपराधियों को दंडित कराने के लिए वे बालशोषण के मामलों को वरीयता के आधार पर निपटाएं।

(ग) जी हां, श्रीमान। धारा 366-क / 366-ख / 372 / 373 के अधीन भारतीय दंड संहिता के उपबंध बच्चों के यौन शोषण के संबंध में दंड देने के लिए लागू होते हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Food Processing Projects in North Eastern and Southern States

955. SHRI T. VENKATRAM REDDY:
SHRI G. PRATHAPA REDDY:

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government have sanctioned Rs.1039 crores for various food processing projects in 7 North-Eastern States;

(b) if so, whether Government had provided financial assistance for setting up 29 food processing centres in the region for training small entrepreneurs in rural and hilly areas;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether Government are considering to provide assistance for food processing projects in the Southern States also; and

(e) if so, the States selected for the purpose and the number of food processing projects which are likely to be set up in the Southern States?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI K.P. SINGH DEO): (a) to (e) The Ministry has extended financial assistance to the tune of Rs. 12.91 crores under its Plan Schemes for various proposals received from State Government Organisations/ Cooperatives/Voluntary Organisations etc. in the North-Eastern States between the years 1991-92 to 1994-95. This includes proposal for setting up of 29 Food Processing & Training Centres (FPTCs).

The Ministry's Plan Schemes are not State specific and assistance is extended to the proposals received from various States including Southern States. Such assistance has already been extended in respect of various proposals received from the 4 Southern States of the Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and Andhra Pradesh. out of the total target of 250 such Centres throughout the country, in the four Southern States during the Eighth Plan period. Assistance has been extended for setting up of 21 such Training Centres in the four Southern States till date.

EOT Scheme

956. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that under the scheme build, operate and transfer (BOT) cess or toll on users of roads is for a specified period;

(b) if so, the rationale thereof and the period for which toll is imposed;

(c) whether there are any constraints in continuing the toll after the expiry of the initial stipulated period;

(d) in what manner the expenditure on maintenance of the road or infrastructure is met after the discontinuation of the toll particularly in the wake of fund constraints;

(e) whether Government would consider in continuation of toll even after the expiry of the initial stipulated period, keeping in view the need for continued maintenance of the road or infrastructure and the fund constraints; and

(f) if so, the modalities of the same and if not, the justification thereof?